

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:-0141-2740837 फ़ैक्स:- 0141-2742309, ईमेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/अति.कार्य/अलेसे-II/1521-22

दिनांक:- 16/06/25

आदेश

निम्नांकित अधीनस्थ लेखा सेवा कार्मिक अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में कॉलम संख्या 6 में अंकित रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य भी अग्रिम आदेश/पदस्थापन होने तक सम्पादित करेंगे :-

क्र.स.	लिंक न.	नाम कार्मिक (सर्वश्री)	वर्तमान विभाग/कार्यालय	अतिरिक्त कार्य का विभाग/कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1	10225	चन्द्रकला बैरवा, सलेअ-II	निदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, जयपुर	अध्यक्ष, राजस्थान प्रशासनिक ईकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति, जयपुर	सलेअ-II के पद का
2	10142	लल्लू प्रसाद मीणा, सलेअ-II	अधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तकनीकी शिक्षा (प्रशिक्षण) विभाग दौसा	पंचायत समिति, दौसा (सलेअ-I के पद का)	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, दौसा का आदेश क्रमांक 3021-3025 दि. 16.06.25 अनुमोदित।

इन्हे राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार दोहरा कार्यभत्ता देय होगा।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त
शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.4(ई)(1)(6)/अति.कार्य/अलेसे-II/1521-22

दिनांक:- 16/06/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
3. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I), कार्यालय हाजा।
4. संबंधित कोषाधिकारी
5. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव महोदय।
6. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित कार्मिक श्रीसहायक लेखाधिकारी ग्रेड II को पालनार्थ।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।

(नरेंद्र सिंह)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)